SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बिहार में महिलाओं की शिक्षा की स्थितिः एक अध्ययन

कुमारी दिव्या, पीएच–डी., अर्थशास्त्र विभाग
डी.के. कॉलेज, डुमरांव, बक्सर, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
कुमारी दिव्या, पीएच–डी.
E-mail : kumaridivya290280@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 19/04/2025
Revised on : 20/06/2025
Accepted on : 30/06/2025
Overall Similarity : 00% on 21/06/2025

शोध सार

नारी शिक्षा का अर्थ है महिलाओं को शिक्षित करना। यह केवल महिलाओं के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है जिससे हमारे देश का विकास होता है। महिलाओं को शिक्षित करने के बाद देश की आर्थिक वृद्धि मे काफी सुधार होगा। बिहार की महिलाएँ भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है जिससे उन्हे उचित शिक्षा, कौशल विकास, वित्तिय स्वतंत्रता आदि प्राप्त करने में मदद मिल रही है।

मुख्य शब्द

महिला, योजना, शिक्षा, सशक्त.

शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान, सदाचार, उचित, आचरण, तकनीकि दक्षता इत्यादि को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शिक्षित व्यक्ति का व्यक्तित्व सुदृढ़ होता है। शिक्षा समाज के एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। नारी शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए काफी जरूरी है क्योंकि एक नारी पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है। परिवार जब शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है। वर्त्तमान समय में नारी शिक्षा के प्रति पूर्व से चली आ रही संकुचित धारणा को समाप्त करना जरूरी है। आज भारत में पुरूषों के समान स्त्रियों को भी शैक्षणिक अधिकार प्राप्त है। महिला शिक्षा का अधिकार सभी महिलाओं और लड़कियों का एक मौलिक अधिकार है, और यह एक सतत् मानव अधिकार है। नारी शिक्षा की बुनियाद रखने में श्रीमति सावित्री बाई फुले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीमति सावित्री बाई फुले ने अपने पति श्री ज्योतिबा फुले के सहयोग से पुणे में बालिकाओं के लिए पहला बालिका विधालय खोला। 1 जनवरी 1848 में लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। यह वह

दौर था जब महज 12–13 वर्ष की लड़कियों की शादी उमरदराज पुरूषों से करा दी जाती थी। फिर स्त्रियाँ किशोरावस्था में ही विधवा हो जाती थी। गर्भवती विधवा को अपमानित करना, उनका यौन शोषण करना, उनको तरह–तरह की प्रताड़नाएँ देना आम बात थी। उनके लिए श्रीमति सावित्री बाई फुले ने विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह खोला। देश का पहला महिला संगठन पुणे में महिला सेवा मंडल के रूप में विकसित किया गया। श्रीमति सावित्री बाई फुले ने नारी शिक्षा के महत्त्व को समझा और आज उनके ही विचारों से भारतवर्ष में नारी शिक्षा की एक ज्योत जल चुकी है। आज नारी शिक्षित होते हुए सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति सुधर रही है लेकिन फिर भी पुरूषों के तुलना में काफी कम है। भारत की महिला साक्षरता दर लगभग 64.6 प्रतिशत थी, जो पुरूषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत से कम है। जहाँ तक बिहार की साक्षरता दर की बात है बिहार में साक्षरता दर लगभग 63.82 प्रतिशत है। पुरूषों में यह दर 82.14 प्रतिशत तथा महिलाओं में लगभग 65.46 प्रतिशत है। बिहार में महिलाओं की शिक्षा को कई कारक प्रभावित करते हैं:

- **समाजिक सांस्कृतिक कारक:** बिहार में लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रथा, कम उम्र में विवाह, इत्यादि ऐसी कुरीतियाँ हैं जिससे कि बिहार की महिलाएँ उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच पाती है। सामाजिक कुरीतियाँ जैसे लड़कियों को उच्च शिक्षा देने में माता पिता डरते हैं कि बेटियाँ घर से बाहर जाएँगी कहीं उनके साथ कुछ गलत न हो जाए। आए दिन बालात्कार, यौन शोशण देखने को मिलता है जिससे बच्चियाँ डर जाती हैं और उनके माता पिता भी काफी चिंतित हो जाते हैं जिससे उनकी पढ़ाई रूकवा कर कम उम्र में ही शादी कर देते हैं।
- **आर्थिक कारक:** जैसे कि गरीबी और अत्याधिक बेरोजगारी भी शिक्षा में बाधा डाल सकते हैं।
- **कुछ अन्य कारण:** माता पिता का अशिक्षित होना जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। अधिक जनसंख्या भी शिक्षा का स्तर गिराते हैं। बिहार में ये सारे कारक हैं जिससे महिलाएँ आगे बढ़ कर शिक्षित नहीं हो पा रही हैं। आज भी कन्या भ्रुण हत्या बिहार में देखने को मिल रही है जो कि एक विकृत मानसिकता है। दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ पूरे समाज को गंदी मानसिकता की ओर ले जा रही है। आज भी महिलाएँ शिक्षित ना होने के कारण से ज्यादा संतान पैदा कर लेती हैं जिनसे उनको पढ़ाना तो दूर 2 जून की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो जाता है। महिलाएँ जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक वह जन संख्या नियंत्रण के महत्व को नहीं समझ पाएँगी।

घरेलू हिंसा भी एक बड़ा कारण है जो कि महिलाओं को शिक्षित होने से रोकता है। महिलाओं के शिक्षा में बाधा को दूर करने के लिए सामाजिक कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा, बाल–विवाह, घरेलू हिंसा आदि को दूर करना होगा।

महिलाओं को शिक्षित करने के लिए समाज में नारी शिक्षा की महत्ता का प्रचार–प्रसार होना अनिवार्य है। बिहार सरकार ने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो वित्तीय सहायता के बिना अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह योजना 2 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ हुई है। इसमें 12 वीं पास बच्चों के लोन की सुविधा उपलब्ध है जो चार लाख तक की राशि है। पढ़ाई पूरी करने और नौकरी में आ जाने के बाद वे लोन चुका सकते हैं। पुरूषों को 4 प्रतिशत तक का ऋण देना होता है जबकि महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, विकलांगों को 1 प्रतिशत तक का ऋण देना होता है। बिहार में महिलाओं की शिक्षा के लिए कई योजनाएँ चल रही हैं। बिहार में एकीकृत बाल विकास परियोजना (ICDS) के तहत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 2011 से किशोरी लड़कियों के लिए योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियाँ जो विद्यालय नहीं जाती हैं, उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ–साथ मासिक ट्रैक होम राशन भी दिया जाता है।

बिहार में महिलाओं की उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए कई योजना चल रही है। ग्रेजुएशन के बाद राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को पचास हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि के खाते में आने का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, के तहत राज्य में ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं के खाते में पैसा भेजा जाता है। बिहार ग्रेजुएशन में पोर्टल की तकनीक से अब महिलाएँ आसानी से पैसा प्राप्त कर सकती है। महिलाओं को शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है, जब तक महिलाएँ नहीं पढ़ेगी तब तक पूरा परिवार शिक्षित नहीं होगा व हमारा समाज काफी पिछड़ जाएगा।

बिहार में महिला शिक्षा की स्थिति और महिला समाख्या योजना वर्तमान समय में नारी शिक्षा के प्रति पूर्व से चली आ रही संकुचित दृष्टिकोण को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त बनाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम इसमें ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक 12500 से अधिक स्थानों पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 25 लाख महिलाएँ भाग ले चुकी है। इस मंच के माध्यम से महिलाएँ अपनी समस्याओं को उजागर कर रही है और विकास की संभावनाओं को तलाश रही हैं। इसके अलावा और भी कई योजनाएँ चल रही है जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ यह केन्द्र सरकार की योजना है जो बालिकाओं को बचाकर शिक्षित करने और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है।

- सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक बचत योजना है जो उनकी शिक्षा और शादी के लिए बचत करने में मदद करती है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना बालिकाओं के लिए एकमुश्त धनराशि प्रदान करती है जो उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है।
- उज्जवल योजना यह योजना तस्करी के पीड़ितो के बचाव पुनर्वास और एकीकरण के लिए है।
- महिला हेल्पलाइन नं. योजना जो कि महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन और गैर आपातकालीन सेवाएँ देती हैं।
- वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण हिंसा से प्रभावित महिलाएँ एक ही छत के नीचे कई एकीकृत सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- बिहार सरकार ने Bihar Women New Scheme 2025 योजना की शुरूआत की है। यह योजना उन महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थन देता है जो अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करती है। यह योजना बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा लागू किया गया है। इस योजना के तहत तलाकशुदा, परित्यक्ता और कुछ विशेष परिस्थितियों में असहाय महिलाओं को एक बार में पच्चीस हजार की आर्थिक मदद दी जाती है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार सरकार द्वारा बी. पी. एल परिवारों की बालिकाओं को वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याणकारी योजना है।
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिलाओं में उद्यमशीलता और स्वरोजगार को बढ़ाता है जिससे महिलाएँ अपने पैरो पर खड़ी होकर आत्मनिर्भरता के साथ अपनी बेटी को भी शिक्षा प्रदान कर सकती है।
- बिहार सरकार ने 2025 बजट ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। बिहार सरकार ने इन बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई अहम् घोषणाएँ की हैं।

स्टेट रोड ट्रांसपोट में महिलाओं की नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण मिला। शहरों में कामकाजी महिला के लिए छात्रावास खुलेंगे। शहरों में पिंक टॉयलेट बनाए जाऐंगे, बिहार की बसों में चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ट्रेनर भी महिला ही होगी। पिंक बसें चलेंगी जिसमें चालक, कंडक्टर और सवारी महिलाएँ ही होंगी। जैसा कि पहले भी बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के नेतृत्व में 35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया गया है। नीतिश सरकार ने नशाबंदी करके कई महिलाओं को समाज में जीने का अधिकार दिलाया है, जहाँ कि महिलाएँ अब मानसिक रूप से अपने पतियों के द्वारा प्रताड़ित नहीं हो रही है। जब महिलायें

मानसिक यातनाएँ नहीं झेलेंगी तो वह खुद और अपनी खुद की बेटी के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। शराबबंदी से नारी शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। बिहार सरकार ने स्वंय सहायता समूह जीविका के अंतर्गत कई महिलाओं को रोजगार दिलाया जिनसे जीविका की महिलाएँ इस समूह से जुड़कर खुद और खुद की बेटियों को उच्च शिक्षा तक पहुँचा रहीं हैं। बेटियों को बिहार सरकार ने रोजगार में आरक्षण देकर काफी हद तक बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है।

निष्कर्ष

हम कह सकते है कि शिक्षित महिलाएँ बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के लिए योगदान देती है। बिहार राज्य में महिला के समक्ष अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिसे बिहार की महिलाएँ समाधान करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। बिहार ही नहीं केवल बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्य की महिलाएँ भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। बिहार की महिलाएँ शिक्षित होने के साथ–साथ व्यवसायिक शिक्षा भी ग्रहण कर रही है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद प्राप्त हो सके। अब वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश की हर एक महिलाएँ शिक्षित होगी।

संदर्भ सूची

1. जैन, अनूप (2004) *महिला अधिकार शिक्षा,* लक्षय प्रकाशन, दिल्ली।
2. कीर्ति वर्मा, (2015) *शिक्षा का इतिहास,* रोषनी प्रकाशन, कानपुर।
3. पालीवाल, सुभाशिणी (2008) *भारत में महिला शिक्षा और साक्षरता,* सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. पोद्दार, हनुमान प्रसाद (2009) *नारी शिक्षा,* गीता प्रेस, गोरखपुर।

****